रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 11—जुलाई 17, 2009 (आषाढ़ 20, 1931)
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 11—JULY 17, 2009 (ASADHA 20, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई दिल्ली-110002, दिनांक 1 जून 2009

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009

एफ. 1-1/2002 (पी.एस.) छूट--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 की संख्या 3) की धारा 26 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (ई.) एवं (जी.) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों को निर्मित करता है। ये हैं :--

संक्षिप्त नाम, प्रयोग एवं प्रारम्भ

1. ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम, 2009 कहलायेंगे।
2. ये उन सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे जिनकी स्थापना अथवा समावेश किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अंतर्गत की गई हो और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त

विश्वविद्यालय के परामर्श से प्रत्येक संस्थान उसके अंग या सम्बद्ध कालेज, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अनुच्छेद (एफ) धारा 2 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रत्येक मानित विश्वविद्यालय पर लागू होंगे।

3. ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू हो जाएंगे।

4. समस्त विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय एवं कालेज/राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं एम.फिल. एवं पीएच.डी. कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए पात्रित होंगे।

5. यद्यपि इन विनियमों के होते हुए और कोई अन्य नियम या विनियम किसी समय पर लागू होने पर भी कोई भी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय एवं कालेज/राष्ट्रीय महत्व की संस्था एम.फिल. एवं पीएच.डी. कार्यक्रमों को दूरस्थ माध्यम से संचालित नहीं करेगा।

एम.फिल./पीएच.डी. निरीक्षकों के लिए पात्रता मापदण्ड

6. मान्यता प्राप्त होने वाले शोध निरीक्षक के संकाय के लिए समस्त विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय एवं कालेज/राष्ट्रीय महत्व की संस्था एम.फिल. एवं पीएच.डी. दोनों कार्यक्रमों के लिए पात्रता मापदण्डों का निर्धारण करेगी।

7. समस्त विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय एवं कालेज/राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं, वार्षिक आधार पर संकाय में उपलब्ध पात्रित निरीक्षकों की संख्या के आधार पर एम.फिल एवं शोध छात्रों की संचालीय संख्या को सुनिश्चित करेंगे।

8. एम.फिल./पीएच.डी. की सीटें की संख्या काफी पहले निर्धारित कर ली जाएगी एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं विज्ञापन पर अधिसूचित की जाएगी। एम.फिल./पीएच.डी. अध्ययनों की उपलब्ध सीटों की संख्या को व्यापक रूप से सभी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय एवं कालेज/राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं प्रचार करेंगी और प्रवेश को नियमित आधार पर संचालित करेंगे।

प्रवेश की प्रक्रिया

9 (i) समस्त विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, एवं कालेज/राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं एम.फिल. एवं शोध छात्रों का प्रवेश अपने स्तर पर विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय एवं कालेज/राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा द्वारा होगा। जो लोग वि.अ.आ./सी.एस.आई.आर. (जे.आर.एफ.) परीक्षा, स्लेट/गेट उत्तीर्ण हैं या शिक्षक अध्ययातिवृत्तियाँ धारक हैं और जिन्होंने एम.फिल. कार्यक्रम पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा के लिए उत्तीर्ण कर लिया है उनके लिए विश्वविद्यालय अलग से शर्तों का निर्धारण कर सकता है। यही तरीका एम.फिल. कार्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में अपनाया जा सकता है।

(ii) इसके पश्चात् स्कूल/विभाग/संस्था/विश्वविद्यालय जैसा मामला हो एक साक्षात्कार का आयोजन करेगा।

(iii) साक्षात्कार के समय शोध छात्रों से अपेक्षा की जाती है वे अपने शोध रुचि/क्षेत्र पर विचार-विमर्श करें।

(iv) पहले से सुनिश्चित की गई छात्रों की संख्या पर ही छात्रों को एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकेगा।

10. पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश या तो सीधे या एम.फिल. माध्यम से होगा।

11. एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देने के दौरान विभाग/संस्था/स्कूल को राष्ट्रीय/राज्य की आरक्षण नीति का पर्याप्त ध्यान रखें।

निरीक्षक का विनियोजन

12. चयनित छात्रों के लिए निरीक्षकों का विनियोजन औपचारिक तरीके से विभागों द्वारा निर्धारित किया जाएगा जोकि प्रत्येक छात्रों एवं संकाय सदस्य की संख्या, उपलब्ध संकाय, निरीक्षकों की विशेषज्ञता एवं छात्रों के शोध रुचि पर आधारित होगा। व्यक्तिगत छात्र एवं शिक्षक पर निरीक्षक का आवंटन/विनियोजन नहीं छोड़ा जाएगा।

पाठ्यक्रम कार्य

13. प्रवेशीकरण के पश्चात् प्रत्येक एम.फिल./पीएच.डी. छात्र को विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालयों, कालेजों/राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा आवश्यक, जैसा कि मामला हो, न्यूनतम एक (1) सेमेस्टरों की अवधि तक का पाठ्यक्रम कार्य को करना होगा। यह पाठ्यक्रम कार्य पूर्व एम.फिल./पीएच.डी. की तैयारी का माना जाएगा और जो निश्चित रूप से शोध पद्धति का पाठ्यक्रम होगा जिसमें परिमाणात्मक पद्धति एवं कम्प्यूटर प्रयोग शामिल होगा इसमें उपर्युक्त क्षेत्र में किए गये शोध प्रकाशनों की भी समीक्षा शामिल है। प्रत्येक विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालयों एवं

कालेजों/राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं जैसा कि मामला हो न्यूनतम अर्हकारी आवश्यकता को निर्धारित करेंगे और आगे छात्र शोधग्रंथ लिखने के लिए अनुमति देंगे।

मूल्यांकन एवं निर्धारित विधि

14. पाठ्यक्रम कार्य एवं शोध पद्धति को सफलतापूर्वक संपूर्ण करने के पश्चात् जो एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम का एक अंग है, एम.फिल./पीएच.डी. शोध छात्र, शोध कार्य को प्रारंभ करेगा और उचित सीमा अवधि के भीतर अपने शोधग्रंथ ड्राफ्ट को प्रस्तुत करेगा जैसा कि सम्बद्ध संस्थाएं निर्धारित करेंगी।

15. शोधग्रंथ प्रस्तुत करने के पूर्व छात्र को विभाग में एक पूर्व एम.फिल./पीएच.डी. प्रस्तुतीकरण करना पड़ेगा जोकि समस्त संकाय सदस्यों एवं शोध छात्रों के लिए खुला होगा ताकि टिप्पणियां एवं सुझाव प्राप्त हो सकें जिनको निरीक्षक के सुझाव पर, ड्राफ्ट शोध ग्रंथ में सम्मिलित किया जा सके।

16. शोधग्रंथ को प्रस्तुत करने के पूर्व शोध छात्र एक शोध पत्र निर्दिष्ट पत्रिका में प्रकाशित निर्णय हेतु कराएगा एवं रीप्रिंट या स्वीकृत पत्र के रूप में उनको प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करेगा।

17. संस्थाओं/विभाग में एम.फिल./पीएच.डी. छात्र द्वारा तैयार किए गए शोधग्रंथ को विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, कालेज/राष्ट्रीय महत्व की संस्था में जैसा मामला हो, जमा करना होगा जिसका मूल्यांकन कम से कम दो विशेषज्ञों जिनमें से एक को राज्य के बाहर का होना चाहिए। यह विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, कॉलेज/राष्ट्रीय महत्व की संस्था पर निर्भर होगा कि एक परीक्षक देश के बाहर का हो।

18. संतोषजनक मूल्यांकन रिपोर्टें की प्राप्ति के पश्चात् एम.फिल./पीएच.डी.छात्रों को एक मौखिक परीक्षा देनी होगी जिसमें खुले तौर पर, वह बचाव कर सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास न्यास

19. मूल्यांकन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सम्पूर्ण करने के पश्चात् एवं एम.फिल./पीएच.डी. देने की घोषणा के पश्चात्, विश्वविद्यालय एम.फिल./पीएच.डी. के शोधग्रंथ की सॉफ्ट प्रति वि.अ.आ. को 30 दिनों के भीतर प्रेषित करेगा ताकि उसको इन्फ्लिबनेट पर डाल कर उसको समस्त संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराया जा सके।

20. उपाधि के साथ, उपाधि प्रदत्त विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय, कालेज/राष्ट्रीय महत्व की संस्था जैसा कि मामला हो, अस्थायी प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि उपाधि को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों एवं इन्हीं विनियमों के अनुरूप प्रदान किया गया है।

आर. के. चौहान
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति एवं जीविका कैरियर उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2009

एफ 1-1/2002 (पी.एस.) छूट--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 की धारा-3) के खण्ड 26 के साथ खंड-14 के अनुच्छेद (ई) एवं (जी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति एवं जीविका कैरियर उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2002 दिनांक 31.07.2002 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति जीविका एवं कैरियर उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 दिनांक 14.06.2006 को निरस्त करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध

संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति एवं जीविका कैरियर उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं) विनियम, 2000 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित विनियमों को निर्मित करता है :--

1. संक्षिप्त नाम, उपयोग एवं प्रारम्भ

1. ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति एवं जीविका कैरियर उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं, (तृतीय संशोधन), 2009 कहलायेंगे।

2. ये उन सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे जिनकी स्थापना या समावेश किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या अंतर्गत की गई हो और आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के परामर्श से प्रत्येक संस्थान, उसके अंग या संबद्ध कालेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत प्रत्येक मानित विश्वविद्यालय पर लागू होंगे।

3. ये विनियम भारत के राजपत्र में अपने प्रकाशित होने की तिथि से लागू हो जाएंगे।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति एवं जीविका कैरियर उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं) अधिनियम, 2000 के परिशिष्ट में निम्नलिखित विवरण 1.3.3, 1.4.3, 1.5.3 एवं 1.6.1 में दिया गया है :--

लैक्चरर के रूप में नियुक्ति के लिए, नेट सर्वदा अनिवार्य आवश्यकता है, उन अभ्यर्थियों के लिए भी जिनके पास पीएच.डी. उपाधि है। फिर भी, अभ्यर्थियों जिन्होंने एम.फिल. उपाधि सम्पूर्ण कर ली हो या संबंधित विषय में पीएच.डी. 31 दिसम्बर, 1993 तक जमा कर दिया हो, उन्हें नेट की परीक्षा में बैठने से छूट होगी।

उपरोक्त अधिनियम के विवरण 1.3.3, 1.4.3, 1.5.3 एवं 1.6.1. के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद एतद् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति एवं जीविका कैरियर उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं) (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा कर दिया गया था।

''लेक्चरर के रूप में नियुक्ति के लिए नेट सर्वदा अनिवार्य आवश्यकता है, उन अभ्यर्थियों के लिए भी जिनके पास पीएच.डी. उपाधि है। फिर भी, अभ्यर्थियों जिन्होंने एम.फिल. उपाधि 31 दिसम्बर, 1993 तक सम्पूर्ण कर ली हो या सम्बद्ध विषय में पीएच. डी. 31 दिसम्बर, 2000 तक जमा कर दी हो, उन्हें नेट की परीक्षा में बैठने से छूट होगी। यदि ऐसे अभ्यर्थी पीएच.डी. उपाधि प्राप्त करने में असफल होते हैं तो उन्हें नेट परीक्षा पास करनी होगी।''

आगे, उपरोक्त प्रावधान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं उनसे और संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति एवं जीविका कैरियर उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं) (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2002 के स्थान पर लाया गया और लागू किया गया। पुन: निम्नलिखित प्रावधान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय एवं उनसे संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति एवं जीविका कैरियर उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 में लाया गया था :

''लेक्चरर के रूप में नियुक्ति के लिए नेट सर्वदा अनिवार्य आवश्यकता है, उन अभ्यर्थियों के लिए भी जिसके पास स्नातकोत्तर उपाधि है। फिर भी, जिन अभ्यर्थियों के पास संबद्ध विषय में पीएच.डी. उपाधि है उन्हें स्नातकोत्तर स्तर एवं स्नातक स्तर पर शिक्षण के लिए नेट से छूट होगी। अभ्यर्थियों, जिसके पास सम्बद्ध विषय में एम.फिल. उपाधि है उन्हें केवल स्नातक स्तर पर शिक्षण के लिए नेट से छूट होगी।''

अब उपरोक्त प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद कर दिया गया :

विश्वविद्यालयों/कालेजों/संस्थाओं में सहायक प्राचार्य के भर्ती और नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा सर्वदा न्यूनतम पात्रता की शर्त होगी।

बशर्ते कि यदि अभ्यर्थियों,जो कि पीएच.डी. हैं या जिनको पीएच.डी. उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./ पीएचडी. उपाधि प्रदान हेतु न्यूनतम मापदण्ड एवं प्रक्रिया) अधिनियम, 2009 के अनुपालन द्वारा दी गई हो, उन्हें विश्वविद्यालय/कालेजों/संस्थाओं में शिक्षकों या समतुल्य पदों के भर्ती और नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा की न्यूनतम पात्रता शर्त की अर्हता से छूट रहेगी।

आर. के. चौहान
सचिव, यूजीसी